

या कार्यवाही

जाज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

31/05/2022

पत्रावली पेश हुई वकील बारी/शार्जी द्वारा
जून, 2021 से पत्रावली में विपक्षीयता की
तलबी नहीं करवाई गयी है। इस बाबत
पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त आदेश
दिनांक 18-02-2022, 24-02-2022 एवं 19-04-22
की पालना भी आदिवाक तक नहीं हुई है।
चूंकि विपक्षीयता की तलबी इतनी अवधि
तक नहीं करवाना वकील बारी/शार्जी की
प्रकृति में असाध्य को जाहिर करना है, अतः
पत्रावली अंतर्गत आदेश 9 नियम 5 जा.
की के तहत तलबी अभाव में एतद्वारा
खारिज की जाती है। पत्रावली फंसल
सुमार लेखर नंबर से कम लेखर कार्यालय
इफतर है। निर्णय खुले व्यायालय में
सुनाया जाकर जैसे हस्ताक्षर व व्यायालय
सुझ से जारी किया गया।

